



प्रेस नोट

दिनांक- 31.05.2025

थाना महरौनी पुलिस व स्वाट/सर्विलांस, जनपद ललितपुर की संयुक्त टीम द्वारा संगठित गिरोह बनाकर चोरी की घटना का प्रयास करने वाले प्रकरण से संबंधित अतर्राज्जीय गिरोह के 03 नफर अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया घायल/गिरफ्तार ।
अभियुक्तगण के कब्जे से 03 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर , 03 अदद अवैध जिन्दा कारतूस व 03 अदद अवैध खोखा कारतूस व एक अदद बुलेरो कार आदि बरामद ।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं श्रीमान् पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देश के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, ललितपुर श्री मो० मुश्ताक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर, श्री अजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में घटना के सफल अनावरण हेतु थाना महरौनी ललितपुर पुलिस व स्वाट/ सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली ललितपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं०-623/2025 धारा 331(4)/305/62 BNS बनाम अज्ञात में पंजीकृत किया गया था । जिसमें दौरान विवेचना प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01. बुदेल सिंह पुत्र गोपाल सिंह गौड़ उम्र करीब 28 वर्ष नि० शाहगढ वार्ड न०- 2 थाना बण्डा जिला सागर म०प्र० 02. देशपाल पुत्र देशराज उम्र करीब 24 वर्ष नि० शाहगढ वार्ड न०- 2 थाना बण्डा जिला सागर म०प्र० 03. सूरज पुत्र संतोष गौड़ उम्र करीब 20 वर्ष नि० मुहल्ला सौदरा कस्बा व थाना खुरई जिला सागर म०प्र० को पुलिस मुठभेड़ के दौरान नियमानुसार गिरफ्तार कर अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 31.05.2025 को वादी मुकदमा श्री तिलक सिंह पुत्र भैरों प्रसाद नि० गौर कॉलोनी थाना कोतवाली जनपद ललितपुर की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरो द्वारा वादी के मकान के गेट का ताला काटकर, चोरी करने के उद्देश्य से घर में घुसकर चोरी करने का प्रयास करने के संबंध में सूचना दी गयी थी । तहरीर के आधार पर कोतवाली ललितपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित की गयी थी ।

थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर, सूक्ष्मता से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था । घटना की गंभीरता व संवेदनशीलता को देखते हुए श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 04 पुलिस टीमे जिसमें थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस, स्वाट/सर्विलांस टीम व अन्य थानों की पुलिस को लगाया गया था । उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु कई सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गयी व कैमरों को कई कि०मी० के दायरों तक देखा गया । सीसीटीवी कैमरों/सर्विलांस व अन्य धरातलीय सूचना की मदद से चोरी की घटना का प्रयास करने वाले अभियुक्तगण 01. बुदेल सिंह 02. देशपाल 03. सूरज उपरोक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल/गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस मुठभेड़ का विवरण- आज दिनांक 31.05.2025 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, ललितपुर के निर्देशन में जनपद में नाकाबन्दी स्कीम के तहत चैकिंग की जा रही थी । इसी दौरान थाना महरौनी पुलिस व सर्विलांस / एसओजी टीम जनपद ललितपुर द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक गाड़ी महरौनी की तरफ से आती हुयी दिखायी दी जिसे टार्च की रोशनी डालकर रुकने का इशारा किया गया तो वह नही रुका और गाड़ी को तेजी से भगाने लगा । पुलिस बल को संदेह होने पर उक्त गाड़ी का पीछा करके ग्राम चढरऊ की ओर जाने वाली मोड़ पर रोक लिया । इसी बीच बदमाशों ने स्वयं को घिरा देखकर उक्त बोलरे से नीचे उतरकर भागने का प्रयास किया, पुलिस बल ने आवाज देकर रुकने को कहा तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से अपने हाथों में लिये तमचो से फायरिंग कर दी । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ में जबाबी फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्तगण 01. बुदेल सिंह पुत्र गोपाल सिंह गौड़ 02. देशपाल पुत्र देशराज 03. सूरज पुत्र संतोष गौड़ उपरोक्त के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही जमीन पर गिर गये जिसे पुलिस द्वारा नियमानुसार हिरासत में लेकर, गोली लगने से घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल, ललितपुर भेजा गया था ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तों से पूछताछ करने पर, अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि साहब हम लोगो का एक संगठित गिरोह है। हम लोग जगह जगह घरेलू उपयोग का सामान बेचने के नाम पर घूमकर दिन में रैकी करने का काम करते हैं तथा चिन्हित मकान/दुकानों में रात्रि में चोरी करते हैं। हम लोगो ने दिनांक 29.05.2025 की रात्रि में ललितपुर शहर के कैलगुआ चौराहे का पास स्थित एक कॉलोनी के कई मकानों की रैकी की थी तथा उस कॉलोनी के कोने के मकान को देखकर मकान में मुख्य गेट पर जंजीर में लगे ताले को कटर एवं इसी सब्बल की मदद से काटकर घर में चोरी करने के लिए घुसे थे लेकिन जैसे ही हम लोग मकान के अंदर स्थित कमरों के दरवाजे के पास पहुँचे थे कि इसी बीच उन कमरों के अंदर मौजूद व्यक्तियों ने हम लोगो की आहट सुन ली और तत्काल पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस के तत्काल मौके पर आ जाने के कारण हम लोगों ने पकड़े जाने की डर से अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गये थे। हम लोग इसी बुलेरो गाड़ी का उपयोग आने जाने में करते हैं और चोरी करते समय अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे कुछ दूरी पर खड़ी कर देते हैं। आज हम लोग चोरी करने के उद्देश्य से जा रहे थे कि तभी अचानक आप लोगों द्वारा की जा रही चेकिंग को देखकर, भागने का प्रयास किया गया था। जब आपने हम लोगो को रूकने के लिये कहा तो पकड़े जाने के डर से हम लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गयी जवाबी फायरिंग में हम तीन लोगों के पैर में गोली लग गई थी और घायल होकर जमीन पर गिर गये थे। पुलिस टीम द्वारा हम लोगों को पकड़कर उपचार हेतु जिला अस्पताल ललितपुर, भिजवाया गया था। साहब हमसे गलती हो गयी, माफ कर दीजिए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. बुदेल सिंह पुत्र गोपाल सिंह गौड़ उम्र करीब 28 वर्ष नि0 शाहगढ वार्ड न0- 2 थाना बण्डा जिला सागर म0प्र0
02. देशपाल पुत्र देशराज उम्र करीब 24 वर्ष नि0 शाहगढ वार्ड न0- 2 थाना बण्डा जिला सागर म0प्र0
03. सूरज पुत्र संतोष गौड़ उम्र करीब 20 वर्ष नि0 मुहल्ला सौदरा कस्बा व थाना खुरई जिला सागर म0प्र0

बरामदगी का विवरण-

01. घटना में प्रयुक्त एक अदद लोह का सब्बल।
02. 03 अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर, 03 अदद अवैध खोखा कारतूस व 03 अदद अवैध जिन्दा कारतूस
03. एक अदद बुलेरो कार (सफेद रंग की) बरामद।
04. 2530 रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री रक्षपाल सिंह क्षेत्राधिकारी महारौनी ललितपुर।
2. श्री विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना महारौनी मय टीम।
3. प्रभारी, स्वाट टीम ललितपुर मय टीम।

नोट- पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25000/- रुपये के नगद पुरस्कार से पुरष्कृत किया जायेगा।